संख्या-21 /2023/1086/तेईस-7-2023-1086/23

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि/नियो0)
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 05 सितम्बर,2023

विषयः- श्री श्याम नारायण सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक निर्माण खण्ड-3,(प्र0प0), लो0नि0वि0, लखनऊ की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1883व्यग/13व्यग(15)/2023, दिनांक 02-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें श्री श्याम नारायण सिंह, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-3,प्र0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा स्वयं का उपचार मिडलैन्ड हेल्थ केयर एण्ड रिचर्स सेन्टर, लखनऊ में दिनांक 03-07-2022 से 23-07-2022 तक कराया गया। उक्त चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 9,98,979.00/- (रूपये नौ लाख अठानबे हजार नौ सौ उन्नासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने का दावा प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ने उक्त दावें का परीक्षण कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत करने के उपरान्त रू0 8,96,779.00/- (रूपये आठ लाख छियानबे हजार सात सौ उन्नासी मात्र) की धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित करते हुए अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र-बी पर अनुमन्य धनराशि अंकित कर प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री श्याम नारायण सिंह, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-3,प्र0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा स्वयं की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि रू0 9,98,979.00/- (रूपये नौ लाख अठानबे हजार नौ सौ उन्नासी मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा संस्तुत धनराशि रू 8,96,779.00/- (रूपये आठ लाख छियानबे हजार सात सौ उन्नासी मात्र) की प्रतिपूर्ति की नियमानुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2014(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रतिपूर्ति दावें की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हितलाभ-01 सिविल-800 अन्य-04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदयों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता 49-अन्य व्यय के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-21/2023/1086(1)/तेईस-7-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त नियंत्रक लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड -3,(प्र0प0) , लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

6- श्री श्याम नारायण सिंह, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ सहायक निर्माण खण्ड -3,(प्र0प0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।